

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2021—फाल्गुन 7, शक 1942

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2021

क्र. 637-2229-2020-पचास-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	सदस्य का नाम (3)
1	सिंगरौली	1. श्रीमती कुसुम पाण्डेय 2. श्री रणजीत कुमार सिंह सदस्य सदस्य
2	अलीराजपुर	1. श्री अखिलेश शर्मा सदस्य
3	खंडवा	1. श्री अनिल कुमार बाहेती सदस्य
4	छिन्दवाड़ा	1. श्री श्याम लाल राव 2. श्रीमती अनुभूति सिन्हा सदस्य सदस्य

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2021

क्र. 637-2229-2020-पचास-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 की उपधारा (1) तथा (2) [सहपठित नियम 2016 का नियम 88 (10)] द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये कॉलम (3) में उल्लेखित व्यक्तियों को बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अधिसूचना जारी दिनांक से तीन वर्ष के लिये पदांकित करता है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	अध्यक्ष/सदस्य का नाम (3)
1	छिन्दवाड़ा	1. श्रीमती किरणलता चौपड़े 2. श्रीमती श्वेता मालवीय 3. श्रीमती सुमन बज 4. श्री गुलचरण मालवीया 5. श्री ललित कुमार साहू
2	खण्डवा	1. श्री विजय कुमार सनावा 2. कु. मोना दफतरी 3. श्री नारायण बाहेती
3	अलीराजपुर	1. श्री रेम सिंह डोडवा 2. श्रीमती नीलिमा राठौर 3. श्री मृदुल सिंह चौहान 4. श्रीमती मंजुला जोशी 5. श्री समीर कुलकर्णी

Bhopal, the 24th February 2021

No. 637-2229-2020-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88 (10) of JJ Rule 2016] the State Government hereby appoints the members of the Juvenile Justice Board as specified in the column (3) for the following district/s as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification.

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of District (2)	Name of Members (3)
1	Singroli	1. Smt. Kusum Pandey 2. Shri Ranjeet Kumar Singh
2	Alirajpur	1. Shri Akhilesh Sharma
3	Khandwa	1. Shri Anil Kumar Baheti
4	Chhindwara	1. Shri Shyam Lal Rav 2. Smt. Anubhuti Sinha

Bhopal, the 24th February 2021

No. 637-2229-2020-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 27 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 [read along with Rule 88 (10) of JJ Rule 2016] the State Government hereby appoints the Chairperson/Members of the Child Welfare Committee as specified in the column (3) for the following district/s as specified in column (2) for the period of three years from the date of notification.

SCHEDULE

S.No.	Name of District	Name of Chairperson/Members	
(1)	(2)	(3)	
1	Chhindwara	1. Smt. Kiranlata Chopre	Chairperson
		2. Smt. Sweta Malviya	Member
		3. Smt. Suman Baj	Member
		4. Shri Gulcharan Malviya	Member
		5. Shri Lalit Kumar Sahu	Member
2	Khandwa	1. Shri Vijay Kumar Sanava	Chairperson
		2. Ms. Mona Daftari	Member
		3. Shri Narayan Bahati	Member
3	Alirajpur	1. Shri Rem Singh Dodwa	Chairperson
		2. Smt. Neelima Rathore	Member
		3. Shri Mradul Singh Chauhan	Member
		4. Smt. Manjula Joshi	Member
		5. Shri Sameer kulkarni	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव.